समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

:- आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 138/चुनाव, दिनांक 30-03-2014 के द्वारा थाना अध्यक्ष, आलमनगर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन के आधार पर **श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिंह पे0 डॉ0 अमरेश्वर प्रसाद सिंह**, सा0+पो0 आलमनगर थाना आलमनगर, **जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत एन0पी0बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं0-02/2013**(आलमनगर थाना) को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

लोक सभा आम चुनाव-2014 को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने हेतु आम सूचना जारी की गई थी। अंचल अधिकारी, आलमनगर एवं थानाध्यक्ष, आलमनगर के संयुक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। संचिका में उपलब्ध अनुज्ञप्ति पुस्त की छायाप्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनकी अनुज्ञप्ति वर्ष 2015 तक नवीकृत है तथा शस्त्र क्रय कर प्रस्तुत करने की अवधि 30.09.2013 तक निर्धारित की गई थी। उसके पश्चात् अवधि विस्तार हेतु अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है, जबकि निर्धारित समय के अन्दर अवधि विस्तार करने हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया जाना चाहिए था। इससे स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी को शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें कोई जान-माल का खतरा है। यह अनुज्ञप्तिधारी के मनमानेपन तथा स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है।

अतएव पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिंह पे0 डॉ0 अमरेश्वर प्रसाद सिंह, सा0+पो0 आलमनगर थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत एन.पी.बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं0-02/2013(आलमनगर थाना) को शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त 9ए का उल्लंघन मानते हुए तत्कालिक प्रभाव से "निलंबित " किया जाता है। शस्त्र क्रय के लिए समय सीमा के अन्दर अवधि विस्तार के लिए प्रयास नहीं किए जाने के संदर्भ में अनुज्ञप्तिधारी अपना स्पष्टीकरण एवं मूल अनुज्ञप्ति पुस्त आदेश प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर समर्पित करें, अन्यथा शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "निलंबित" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक.......233.........विधि, मधेपुरा, दिनांक....22-4-14....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, आलमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिंह पे0 डॉ0 अमरेश्वर प्रसाद सिंह, सा0+पो0 आलमनगर थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

22/04/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा